-प्रेस नोट-

दिनांक: 30.10.2025

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय कक्ष संख्या-2 जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्तों को 07 वर्ष का कारावास व 01 लाख 50 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः-

अवगत कराना है, कि दिनांक 23.10.2011 को अभियुक्तगणों 1.पवन पुत्र लालचन्द 2.जल सिंह पुत्र लालचन्द 3. कुसुम पत्नी जल सिंह नि0गण कुरडी थाना देवबन्द 4.त्रिलोकचन्द पुत्र प्रेमचन्द नि0 सिरसली कला थाना बड़गांव 5.राजेश पुत्र बलजीत नि0 मकबरा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की पोती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने की सूचना पर मु0अ0स0-672/2011 धारा 366,363,376(2जी) भादवि थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-121/2013 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय कक्ष संख्या-2 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय कक्ष संख्या-2 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 30.10.2025 को अभियुक्तगणों **1.पवन पुत्र लालचन्द 2. जल सिंह पुत्र लालचन्द 3. कुसुम पत्नी जल सिंह नि0गण कुरडी थाना देवबन्द 4. त्रिलोकचन्द पुत्र प्रेमचन्द नि0 सिरसली कला थाना बडगांव 5.राजेश पुत्र बलजीत नि0 मकबरा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** मु0अ0स0 - 672/2011 में धारा 366,363 भादवि का दोषी पाते हुए अभियुक्तों को 07 वर्ष का कारावास व 01 लाख 50 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

नोट- अभि0गणो को धारा 376(2जी) भादवि मे दोषमुक्त किया गया।

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री मेनपाल सिंह
विवेचक -उ0नि0 चन्द्रवीर सिंह
पैरोकार -है0का0 994 विपिन कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 30.10.2025

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश एडीजे-11 जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्तों को 05 वर्ष का कारावास व 02 लाख 24 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः-

अवगत कराना है, कि दिनांक 06.06.2016 को वादी साबिर पुत्र जिंदा हसन निवासी फतेहपुर ढोल्ला थाना गंगोह जिला सहारनपुर द्वारा अभियुक्तों 1.समरयाव पुत्र कामिल 2.फरचन्द पुत्र कामिल 3.साजिद पुत्र कामिल 4.असजद पुत्र कामिल 5.अमजद पुत्र कामिल 6.इरफान पुत्र कामिल 7.जुल्लू पुत्र कामिल 8.महताब पुत्र कामिल निवासीगण फतेहपुर ढोल्ला थाना गंगोह जिला सहारनपुर द्वारा एक राय होकर वादी के घर मे घुसकर वादी के भाईयो के साथ लाठी डन्डो व तलवारो से चोट पहुंचाकर घायल करना तथा गाली- गलौच कर जान से मारने की धमकी देने की सूचना पर मु0अ0स0-248/2016 धारा 147,148,452,323,149,325,324,308,504,506 भादवि थाना गंगोह जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-483/2017 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे-11 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 30.10.2025 को अभियुक्तों 1.समरयाव पुत्र कामिल 2.फरचन्द पुत्र कामिल 3.साजिद पुत्र कामिल 4.असजद पुत्र कामिल 5.अमजद पुत्र कामिल 6.इरफान पुत्र कामिल 7.जुल्लू पुत्र कामिल 8.महताब पुत्र कामिल निवासीगण फतेहपुर ढोल्ला थाना गंगोह जिला सहारनपुर, को मु0अ0स0-248/2016 धारा 147,148,452,149, 325,308,504,506,भादवि में 05 वर्ष का कारावास व 02 लाख 24 हजार रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

नोट- अभियुक्तो को धारा 323,324 भादवि मे दोषमुक्त किया गया।

शासकीय-अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री अमित त्यागी

विवेचक- उप निरीक्षक श्री शैलेन्द्र सिंह

पैरोकार-है0का0 347 रवि अन्तल थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 30.10.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड़ गैगस्टर के अभियोग मे 01 वारण्टी अभियुक्त घायल अवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा, 01 जिंदा /02 खोखा कारतूस.315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी, छिनैती आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में लिप्त एवं वांछित अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन गस्त/चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 29/30.10.2025 की रात्रि को प्रभारी निरीक्षक गंगोह द्वारा मय फोर्स दौलतपुर चौकी से कुंडा जाने वाले रोड पर ग्राम बेगी नाजर के पास गस्त व संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग जा रही थी, तभी दो व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में पैदल पैदल आते दिखाई दिये, संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस टीम द्वारा टॉर्च की रोशनी दिखाकर उन्हें रुकने का इशारा किया गया, वह नहीं रुके और पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर ग्राम बेगी नाजर के पास यमुना की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते पर भागने लगे । पुलिस द्वारा बदमाशों का पीछा किया गया, गाँव के पास से यमुना की तरफ जाने वाली कच्ची चकरोड पर एक बदमाश गिर पडा । पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायलवस्था में गिरफ्तार किया गया । तथा 01 अन्य बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। फरार अभियुक्त की तलाश हेतु लगातार कांबिंग की जा रही है। घायल बदमाश की पहचान **अजीम पुत्र नाजिम निवासी मौहल्ला कुरैशियान कस्बा व थाना गंगोह सहारनपुर** के रूप में हुई घायल बदमाश को ईलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल बदमाश अजीम के विरूद्ध थाना गंगोह पर पंजीकृत मु0अ0सं0 438/22 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम के अभियोग मे माननीय न्यायालय द्वारा गैर जमानतीय वारण्ट जारी किया गया था। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना गंगोह पर मु0अ0स0 502/2025 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि मेरे खिलाफ सहारनपुर कोर्ट से गेंगस्टर के मुकदमे में वारन्ट चल रहे है परन्तु उस मुकदमे में मैंने अपना पता ग्राम कुंडा का लिखवा रखा है जबकि मै मौहल्ला कुरैशियान कस्बा गंगोह का रहने वाला हूँ तथा मेरा साथी हरियाणा से मुकदमे में वांछित चल रहा है। आज हम अपने खर्चे के लिये पैसो का इंतजाम करने के लिये कोई घटना करने की सोच रहे थे तभी पुलिस वाले दिखाई दिये तो हमने पकडे जाने के डर से जान से मारने पुलिस पर फायर किये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अजीम पुत्र नाजिम निवासी मौहल्ला कुरैशियान कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 01 तमंचा .315 बोर
- 02 खोखा/ 01 जिंदा कारतूस .315 बोर
-

गिरफ्तार अभियुक्त अजीम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 210/22 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 व 3/11 पशु क्रूरता अधि0 व 429 भादवि थाना गंगोह जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 438/22 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना गंगोह जिला सहारनपुर
3. मु0अ0स0 502/2025 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 शस्त्र अधिनियम

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्र0नि0 श्री पीयूष दीक्षित थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अतुल कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. हे0का0 258 अजीत मलिक थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. हे0का0 362 अमित पंवार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
5. हे0का0 1013 राहुल तोमर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
6. का0 126 सविन कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
7. का0 326 रिंकू कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

दिनांक 30.10.2025

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

थाना को0देहात पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 07 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी/बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनों जनपदो में "ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर" अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक सूबे सिह के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 30.10.2025 को चैकिंग के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर **अभियुक्त शाहरुख पुत्र इमरान निवासी भारत गैस गोदाम के पास नूर बस्ती थाना को0 नगर जनपद सहारनपुर** को ग्राम हाकिमपुरा अमरूद के बाग के पास जहांगीर की ट्यूबवेल के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से कुल 07 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना को0देहात पर मु0अ0सं0 565/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

शाहरुख पुत्र इमरान निवासी भारत गैस गोदाम के पास नूर बस्ती थाना को0 नगर जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

- 07 ग्राम अवैध स्मैक

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 भीमप्रकाश थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 1260 सोविन्द्र थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 1272 इरफान थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।

दिनांक 30.10.2025

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

थाना गंगोह पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 21 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में "ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर" अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक पीयूष दीक्षित के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस द्वारा आज दिनांक 30/10/2025 को गस्त के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त आकाश पुत्र जनार्धन नि0 ग्राम शकरपुर साकरौर थाना गगोह जनपद सहारनपुर को ग्राम साकरौर के बाहर बनी निर्माणाधीन कालोनी के गेट के सामने से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त आकाश के कब्जे से कुल 21 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 505/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

आकाश पुत्र जनार्धन नि0 ग्राम शकरपुर शाकरौर थाना गगोह जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- *21 ग्राम अवैध स्मैक*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सतेन्द्र कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 देवेश कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3 हे0का0 568 मनदीप कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. हे0का0 488 चन्द्रपाल सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

दिनांक 30.10.2025

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

थाना को0देहात पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 06 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी/बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनों जनपदो में "ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर" अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक सूबे सिह के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 30.10.2025 को चैकिंग के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर **अभियुक्त नदीम पुत्र अब्दुल रज्जाक निवासी कैशाल विहार कालोनी रसूलपुर थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर** को ग्राम ढमौला मुल्किन प्रधान के ट्यूबेल के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से कुल 06 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना को0देहात पर मु0अ0सं0 566/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अभियुक्त नदीम पुत्र अब्दुल रज्जाक निवासी कैशाल विहार कालोनी रसूलपुर थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

- 06 ग्राम अवैध स्मैक

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 319/18 धारा 391/411 भा0द0वि0 थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0स0 367/18 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट चालानी थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
3. मु0अ0स0 132/25 धारा 305(ए)/317(2)/324(4)/331(2) बीएनएस चालानी थाना कोत0नगर सहारनपुर।
4. मु0अ0स0 98/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर ।
5. मु0अ0स0 228/20 धारा 13 जुआ अधि0 थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
6. मु0अ0स0 452/18 धारा 391/411 भा0द0वि0 चालानी थाना रामपुर मनिहारन।
7. मु0अ0स0 344/18 धारा 391/411/420/467/468/471भा0द0वि0 चालानी थाना सरसावा, सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

4. उ0नि0 राजकुमार थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
5. का0 1487 जयकुमार थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
6. का0 1716 अनुज कुमार थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।

दिनांक 30.10.2025

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

थाना सरसावा की मिशन शक्ति/एन्टीरोमियो टीम द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 116.40 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी/बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनों जनपदो में "ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर" अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी थाना सरसावा श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.10.2025 को थाना सरसावा की मिशन शक्ति/एन्टीरोमियो टीम द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान एक शातिर नशा तस्कर **अभियुक्त तस्लीम पुत्र मन्जूर निवासी मौहल्ला हरिजनान कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर** को ईदगाह अम्बाला रोड कस्बा के पास धर्मकाटा से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 116.40 ग्राम नाजायज चरस बरामद हुई गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना सरसावा पर मु0अ0स0 446/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

तस्लीम पुत्र मन्जूर निवासी मौहल्ला हरिजनान कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण

116.40 ग्राम नाजायज चरस

चरस बिक्री के 1150 रूपये

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास

1- मु0अ0स0 58/2022 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

2- मु0अ0स0 74/2024 धारा 8/20 थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

3- मु0अ0स0 446/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ0नि0 ललित कुमार थाना सरसावा सहारनपुर।

2. म0है0का0 06 बबीता मोनाडी थाना सरसावा सहारनपुर।
3. म0का0 1451 विनीता थाना सरसावा सहारनपुर।
4. का0 2223 दुर्गेश थाना सरसावा सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 30.10.2025

थाना गंगोह पुलिस द्वारा अवैध शराब के साथ 01 शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार

*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक **सहारनपुर** के निर्देशन में अपराध की रोकथाम एवं वांछित/वारंटी/शातिर अपराधियों व नशा तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, **पुलिस अधीक्षक ग्रामीण** एवं **क्षेत्राधिकारी गंगोह** के निकट पर्यवेक्षण तथा **प्रभारी निरीक्षक श्री पीयूष दीक्षित** के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस टीम को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।*

*आज दिनांक **30.10.2025** को गश्त के दौरान थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा **ग्राम बिलासपुर जाने वाले रास्ते पर, पहने माता मंदिर के पास से** एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसकी पहचान **रविन्द्र पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम बिलासपुर, थाना गंगोह, जनपद सहारनपुर** के रूप में हुई। अभियुक्त के कब्जे से **12 बोतल देशी शराब "मस्ती माल्टा हरियाणा मार्का"** बरामद की गई। पूछताछ में अभियुक्त ने स्वीकार किया कि वह हरियाणा से सस्ती शराब खरीदकर अपने गांव में ऊंचे दामों पर बेचता है और स्वयं भी शराब का सेवन करता है।*

*अभियुक्त के विरुद्ध थाना गंगोह पर **मु.अ.सं. 504/25**, धारा **60/63 आबकारी अधिनियम** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक **विधिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।***

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

रविन्द्र पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम बिलासपुर, थाना गंगोह, जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण –

- *12 बोतल देशी शराब "मस्ती माल्टा" हरियाणा मार्का*

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

*मु.अ.सं. **10/25**, धारा **303(2)/317(2) बी.एन.एस.**, थाना गंगोह, जिला सहारनपुर।*

*मु.अ.सं. **361/22**, धारा **379/411 भा.दं.वि.**, थाना नकुड़, जिला सहारनपुर।*

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम –

1. *उ.नि. **अशोक कुमार**, थाना गंगोह, जिला सहारनपुर।*
2. *उ.नि. **अमित कुमार**, थाना गंगोह, जिला सहारनपुर।*
3. *का. **जब्बाद (1929)**, थाना गंगोह, जिला सहारनपुर।*

-प्रेस नोट-

दिनांक: 30.10.2025

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक **सहारनपुर** के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं वांछित/वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, **पुलिस अधीक्षक नगर** एवं **क्षेत्राधिकारी द्वितीय** के निकट पर्यवेक्षण तथा **प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिंह** के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा **आज दिनांक 30.10.2025** को तलाश व दबिश के दौरान **दो वारंटी अभियुक्तों** को उनके ठिकाने से गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त दोनों अभियुक्त **वाद संख्या 4250/25**, मु.अ.सं. **170सी/2013**, धारा **498/504 भा.दं.वि.**, थाना बेहट, जनपद सहारनपुर के प्रकरण में **वारंटी** थे, जिन्हें पुलिस टीम द्वारा मस्कन से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक **विधिक कार्यवाही पूर्ण कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।***

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1. ***मौ० ईनाम पुत्र जफर कुरैशी**, निवासी कैलाश विहार, थाना कोतवाली देहात, जनपद सहारनपुर।*
2. ***अहसान पुत्र जफर**, निवासी कैलाश विहार, थाना कोतवाली देहात, जनपद सहारनपुर।*

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः

1. *उ०नि० **श्री भीमप्रकाश**, थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।*
2. *का० **जयकुमार (1487)**, थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।*
3. *का० **अनुज कुमार (1716)**, थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।*

दिनांक: 30.10.2025

-प्रेस नोट-

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा आबकारी अधि0/शस्त्र अधि0/जुआ अधि0 व मालखाने में रखे मालों का मा0 न्यायालय के आदेश से विनष्टीकरण किया गया

अवगत कराना है कि श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर महोदय के निर्देशन में माल निस्तारण हेतु चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन क्लीन" के अन्तर्गत श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निकट पर्यवेक्षण में श्री देवेन्द्र सिंह उप-जिला मजिस्ट्रेट बेहट सहारनपुर की अध्यक्षता में सुश्री प्रिया यादव क्षेत्राधिकारी सदर महोदय, श्री राजीव वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी एवं श्री विनय शर्मा थानाध्यक्ष थाना फतेहपुर एचएम 980 नीतू कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर के द्वारा

1. *आज दिनांक 30.10.25 को वर्ष 2024 से 2025 के आबकारी अधि0 से सम्बन्धित 08 अभियोगो से बरामद कुल 70 लीटर अवैध शराब जिसकी कीमत करीब 42 हजार रुपये को थाना परिसर के पीछे खाली स्थान पर जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर विनष्टीकरण कराकर कुल 08 माल मुकदमाती का निस्तारण किया गया।*
2. *आज दिनांक 30.10.2025 को शस्त्र अधिनियम के 07 माल को तोडकर विषिट किया गया व अन्य भादवि के 07 अभियोगो के माल को वादी को नियमानुसार सुप्रद किया जायेगा कुल 14 माल मुकदमाती का निस्तारण किया गया।*
3. *आज दिनांक 30.10.2025 को वर्ष 2020 से 2023 के जुआ अधि0 से सम्बन्धित 23 अभियोगो से फड़ से बरामद कुल 8530/- रुपये जिनको नियमानुसार आंकिक शाखा में जमा कराया गया कुल 23 माल मुकदमाती का निस्तारण किया गया।*
4. *आज दिनांक 30.10.2025 को अन्दर मालग्रह मे ऱखे 07अभियोगो के 73 सिलेण्डर को माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन मे नजदीकी गैस एजेसी के मालिक की अभिरक्षा मे रखे जाने के सम्बन्ध मे उपरोक्त 07 अभियोगो के माल को नजदीकी गैस एजैसी के मालिक श्री मुन्नी देवी की अभिरक्षा मे रखा गया गैस मालिक मुन्नी देवी उपरोक्त को भली भाति अवगत कराया गया कि जब भी माननीय न्यायालय मे माल मुकदमाती उपरोक्त को पेश किया जायेगा तो आप अविलम्ब माल को अपनी अभिरक्षा से मा0न्यायालय के समक्ष पेश करेगे*

नष्ट कराये गये मालों का विवरण –

1. ***70 लीटर अवैध देशी देशी***
2. ***शस्त्र अधि0 के 14 मालों में से 07 माल को तोडकर नष्ट किया गया व अन्य 07 अभियोगो के माल को वादी को नियमानुसार सुपुर्द किया जायेगा***
3. ***23 अभियोगो से फड़ से बरामद कुल 8530/- रुपये जिनको नियमानुसार आंकित शाखा में जमा कराया गया***
4. ***07 अभियोगो के माल को नजदीकी गैस एजैसी के मालिक श्री मुन्नी देवी की अभिरक्षा मे रखा गया***

<u>मालों के निस्तारण हेतु गठित टीम के सदस्यो के नाम–</u>

1. *सुश्री प्रिया यादव क्षेत्राधिकारी सदर महोदय*
2. *श्री देवेन्द्र सिहँ उप जिला मजिस्ट्रेट बेहट सहारनपुर*
3. *श्री राजीव वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी*
4. *श्री विनय शर्मा थानाध्यक्ष थाना फतेहपुर*
5. *एचएम 980 नीतू कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर*

दिनांकः 30.10.2025

-प्रेस नोट-

🚨 सहारनपुर पुलिस का अपराधियों पर करारा प्रहार 🚨

थाना नकुड़ पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास करने वाले वांछित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 02 तमंचे व 02 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद ।

अवगत कराना है कि दिनांक 11.09.2025 को वादी श्री राजबल सिंह पुत्र विशम्भर निवासी ग्राम सहजवा डा0 उमाही कला थाना रामपुर मनिहारन स0पुर की तहरीरी सूचना बावत अभियुक्तगण 1.प्रदुमन पुत्र महताब 2.सोनित पुत्र सतीश 3.मोनित पुत्र सतीश नि0गम ग्राम मोहद्दीनपुर स0पुर 4.पंकज पुत्र नामालूम नि0 ग्राम सढौली स0पुर 5.दीपक पुत्र अशोक 6.शेखर पुत्र अशोक नि0 ग्राम सहजवा स0पुर द्वारा एक राय होकर वादी के भतीजे गौरव कुमार पुत्र सोमपाल नि0 सहजवा थाना रामपुर मनिहारन स0पुर व उसके दोस्त सुमित पुत्र राजकुमार नि0 सबदलपुर थाना कुतुबशेर स0पुर पर अपने हाथ मे लिये लोहे की रोड़ से हमला करना तथा जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर करना जिससे वादी के भतीजे व उसके दोस्त के घायल होने के संबंध में थाना नकुड पर मु0अ0स0 362/25 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/131/109(1) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटनाओं का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए गये, जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 30.10.2025 को मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त मे वांछित अभियुक्तगण ***1. प्रदुमन पुत्र महताब निवासी ग्राम मोहद्दीनपुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर 2.मोहित उर्फ शुभम पुत्र रामपाल निवासी ग्राम रन्धेडी थाना गंगोह जिला सहारनपुर*** *को नयागाँव रोड पर बन्द पड़े पैट्रोल पम्प से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 02 तमंचे व 02 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गई है। अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहे हैं।*

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. *प्रदुमन पुत्र महताब निवासी ग्राम मोहद्दीनपुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर।*
2. *मोहित उर्फ शुभम पुत्र रामपाल निवासी ग्राम रन्धेडी थाना गंगोह जिला सहारनपुर।*

बरामदगी का विवरणः-

02 तमंचे व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

अभियुक्त प्रदुमन का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 381/24 धारा 115(2), 117(2), 333, 351(3), 352 व 3(1)(घ), 3(1)(द), 3(2)(va) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण) अधिनियम थाना नकुड ,स0पुर।

2. मु0अ0सं0 176/25 धारा 109, 351(3), 352 भारतीय न्याय संहिता थाना रामपुर मनि0,स0पुर।

अभियुक्त मोहित उर्फ शुभम का आपराधिक इतिहासः-

मु0अ0सं0 375/2022 धारा 323, 504, 506 भादवि थाना गंगोह,स0पुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी थाना नकुड जनपद सहारनपुर ।*
2. *उ0नि0 श्री अमित कुमार सोनी थाना नकुड जनपद सहारनपुर ।*
3. *है0का0 263 सचिन कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर ।*
4. *है0का0 999 राजकमल थाना नकुड जनपद सहारनपुर ।*

दिनांकः 30.10.2025

-प्रेस नोट-

मिशन शक्ति 5.0
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध देसी पिस्टल 7.65MM , 01 अवैध तमंचा .315 बोर, बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नकबजनी/चोरी/लूट आदि आपराधिक घटनाओ की रोकथाम व शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में दिनांक 30.10.2025 को दौराने चेंकिंग थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर अभियुक्त **अनमोल पुत्र योगेन्द्र उर्फ जोनी निवासी ग्राम मनोहरपुर थाना सदर बाजार सहारनपुर** को काशीराम कालोनी से न्यू आवास विकास की रोड पर गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अवैध देसी पिस्टल 7.65MM बोर, 02 जिन्दा कारतूस 7.65 MM बोर, 01 अवैध तमंचा .315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस .315 **बोर** बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 614/25 धारा 3/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1.अनमोल पुत्र योगेन्द्र उर्फ जोनी निवासी ग्राम मनोहरपुर थाना सदर बाजार सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त अनमोल का अपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0स0 492/23 धारा 392/506 भादवि व 3/25 ए एक्ट थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर
2.मु0अ0सं0 614/25 धारा 3/25 ए एक्ट थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

- 01 अवैध देसी पिस्टल 7.65MM बोर, 02 जिन्दा कारतूस 7.65 MM बोर,
- 01 अवैध तमंचा .315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 श्री बबलु कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री अमरीश कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर।
3. का0 2028 प्रवीण कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर
4. का0 240 सोनू थाना सदर बाजार सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 30-10-2025

थाना मिर्जापुर की एंटीरोमियों *टीम द्वारा मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत —पॉक्सो एक्ट के 03 अभियोगों में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार*

अवगत कराना है कि **दिनांक 25.10.2025 को** वादी द्वारा थाना मिर्जापुर उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर दी कि हमारी नाबालिग लड़की को अज्ञात व्यक्ति द्वारा मो0सा0 पर बैठाकर जंगल में ले गया है जिसके सम्बन्ध में थाना मिर्जापुर पर **मु0अ0स0-237/25** धारा 137(2) पंजीकृत किया गया **तथा दिनांक 29.10.2025 को** वादिया द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर दी कि हमारी बच्ची बड़े कुए के पास खेल रही थी कोई अज्ञात व्यक्ति हमारी बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है व हमारी बच्चियों के साथ अश्लील हरकते की व शोर मचाने पर बच्चियों के साथ मारपीट की तथा थोड़ी देर बाद हमारी बच्चियों को मदरसा रायमी के पास छोड़ जाने के सम्बन्ध में थाना मिर्जापुर पर **मु0अ0स0-243/25** धारा 137(2) 74/75(2) व 7/8 पोक्सो एक्ट **तथा दिनांक 29.10.2025 की** रात्रि को वादिया द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर दी कि हमारे परिवार की तीन बच्चियां घर के बाहर खेल रही थी खेलते समय कोई अज्ञात व्यक्ति जो मो0सा0 पर आया और हमारी बच्चियों को लालच देकर अपने साथ मो0सा0 पर बैठाकर जंगल में ले गया व अश्लील हरकते करना व चिल्लाने पर हमारी बच्चियों के साथ गाली गलौज कर व मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में **मु0अ0स0- 246/25** धारा 137(2)65(2)/74/75(2)115(2)/352/351(2) बीएनएस 11(2)/12 व 5एम/6 पोक्सो पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटनाओं का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिए, आदेश के अनुपालन में *पुलिस अधीक्षक ग्रामीण* तथा *क्षेत्राधिकारी बेहट* के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना मिर्जापुर श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में ***थाना मिर्जापुर पुलिस की मिशन शक्ति एन्टी रोमियो टीम*** *ने महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा व सम्मान सुनिश्चित करने हेतु* चलाए जा रहे **मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान** के अंतर्गत *30 अक्टूबर 2025* को प्रभावी कार्रवाई कर सफल अनावरण करते हुए मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त **सलमान उर्फ सल्लू पुत्र शमशाद निवासी गाडा रोड ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर सहारनपुर** को शेर पुर पेलो रोड पर स्थित इकबाल ठेकेदार के बागं मे बने खण्डर नूमा मकान के पास से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

सलमान उर्फ सल्लू पुत्र शमशाद नि0 गाडा रोड ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर सहारनपुर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्र0निरी0 श्री सुनील नागर थाना मिर्जापुर सहारनपुर
2. उ0नि0 दिनेश कुमार थाना मिर्जापुर सहानरपुर
3. म0उ0नि0 **दीक्षा** थाना मिर्जापुर, जनपद सहारनपुर
4. हे0का0 37 अमरदीप कुमार थाना मिर्जापुर सहारनपुर
5. का0 1666 पकज कुमार थाना मिर्जापुर सहारनपुर
6. म0का0 **1668 सविता** थाना मिर्जापुर, जनपद सहारनपुर

दिनांक: 30-10-2025

-प्रेस नोट-

□ सहारनपुर पुलिस द्वारा बजाज इंटरनेशनल स्कूल में साइबर अपराध एवं नवीन कानूनों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

➡□युवा पीढ़ी को डिजिटल युग में सुरक्षित रखने एवं उन्हें कानून संबंधी जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से आज बजाज इंटरनेशनल स्कूल, मेरठ में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में *श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर व्योम बिंदल एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक यातायात सिद्धार्थ वर्मा* उपस्थित रहे।

➡□दोनों अधिकारियों ने छात्रों को साइबर अपराधों, डिजिटल सुरक्षा, सोशल मीडिया के जिम्मेदार उपयोग, और नए कानूनों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराया। विद्यार्थियों को विषयों की गहन समझ दिलाने हेतु वीडियो प्रेजेंटेशन और पावर पॉइंट प्रस्तुति (PPT) के माध्यम से जानकारी साझा की गई।

➡□"आज के युग में इंटरनेट का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग ही सुरक्षा की कुंजी है। हर छात्र को यह समझना चाहिए कि छोटी सी गलती भी साइबर अपराध की श्रेणी में आ सकती है।"

➡□"डिजिटल प्लेटफॉर्म का सही उपयोग कर विद्यार्थी न केवल स्वयं को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी जागरूक कर सकते हैं।"

➡□कार्यक्रम में महिला थाना प्रभारी श्रीमती बबीता तोमर, उपनिरीक्षक अर्शिया कुरैशी, उपनिरीक्षक सविता चौधरी, चौकी इंचार्ज क्लासी लाइन उपनिरीक्षक सुनील पंवार, उचित शर्मा (वूशु ट्रेनर), पुनीत (जूडो कोच, स्टेडियम) तथा सूरज (रेसलिंग कोच) सहित पुलिस विभाग एवं विद्यालय के अनेक अधिकारीगण उपस्थित रहे।

➡□विद्यालय की प्रिंसिपल सुश्री सुषमा बजाज एवं सुश्री अनु बजाज ने पुलिस विभाग के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम छात्रों को जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने की दिशा में प्रेरित करते हैं।

कार्यक्रम का समापन छात्रों से साइबर सुरक्षा की शपथ दिलवाकर एवं धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया गया।

दिनांक: **30-10-2025**

-प्रेस नोट-

* ➡ □मिशन शक्ति अभियान / राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह / नये कानूनों की जागरूकता के तहत जनजागरूकता कार्यक्रम*

* ➡ □आज दिनांक 30.10.2025 को थाना रामपुर मनिहारान की एण्टीरोमियो टीम द्वारा बड़गांव मार्ग स्थित सीएससी अस्पताल में जाकर मिशन शक्ति फेज-5.0, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह एवं नये कानूनों की जागरूकता के अंतर्गत एंटी रोमियो टीम द्वारा जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।*

कार्यक्रम के दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं से संवाद कर उनकी समस्याओं को जाना गया तथा सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं — जैसे विधवा पेंशन योजना, सुमंगला योजना, बाल कल्याण योजनाएँ, एवं बाल मजदूरी निषेध से संबंधित जानकारी दी गई।

इसके साथ ही गुड टच और बैड टच के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया तथा विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों —

□ 1090 (वूमेन पावर लाइन)

□ 1076 (मुख्यमंत्री हेल्पलाइन)

□ 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन)

□ 1930 (साइबर अपराध रिपोर्टिंग)

□ 108 (एंबुलेंस सेवा)

□ 112 (पुलिस आपातकालीन सेवा)

के उपयोग की जानकारी दी गई।

महिलाओं को डिजिटल अरेस्ट, साइबर फ्रॉड, फ्रॉड कॉल, अनचाहे लिंक पर क्लिक न करने जैसी सावधानियों से अवगत कराया गया। साथ ही साइबर अपराधों से बचाव एवं तीन नये कानूनों (भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम) की प्रमुख धाराओं के बारे में जानकारी दी गई।

दिनांक: 30-10-2025

-प्रेस नोट-

मिशन शक्ति 5.0
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

मिशन शक्ति अभियान / राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह / तीन नये कानूनों की जागरूकता के तहत जनजागरूकता कार्यक्रम

आज दिनांक 30.10.2025 को थाना नकुड़, जनपद सहारनपुर में महिला सशक्तिकरण अभियान मिशन शक्ति फेज-5.0 एवं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह के अंतर्गत एंटी रोमियो टीम द्वारा जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम के तहत महिला उपनिरीक्षक अर्चना व महिला कांस्टेबल दिशा द्वारा ग्राम ढोला माजरा में जाकर महिलाओं एवं बालिकाओं से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को जाना गया तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं — विधवा पेंशन योजना, सुमंगला योजना, बाल कल्याण योजनाएँ, एवं बाल मजदूरी न कराने से संबंधित जानकारी प्रदान की गई।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित महिलाओं को गुड टच और बैड टच की जानकारी दी गई तथा विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों के बारे में अवगत कराया गया —

☐ 1090 (वूमेन पावर लाइन)

☐ 1076 (मुख्यमंत्री हेल्पलाइन)

☐ 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन)

☐ 1930 (साइबर अपराध रिपोर्टिंग)

☐ 108 (एंबुलेंस सेवा)

☐ 112 (पुलिस आपातकालीन सेवा)

साथ ही डिजिटल अरेस्ट, साइबर फ्रॉड, फ्रॉड कॉल, अनचाहे लिंक पर क्लिक न करने जैसी सावधानियों से भी जागरूक किया गया।

इसके अतिरिक्त तीन नये कानूनों — भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं एवं नागरिक अधिकारों की जानकारी भी दी गई।

-प्रेस नोट-

दिनांक: 30-10-2025

मिशन शक्ति अभियान / साइबर सुरक्षा माह / तीन नये कानूनों की जागरूकता के तहत जनजागरूकता कार्यक्रम

आज दिनांक 30.10.2025 को थाना बड़गांव, जनपद सहारनपुर में एंटी रोमियो टीम द्वारा महिला सशक्तिकरण एवं जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम के अंतर्गत हे0कां0 आबिद, महिला हेड कांस्टेबल मीनू तथा महिला आरक्षी संगीता द्वारा कस्बा बड़गांव के ग्राम अबदयालपुर में महिला चौपाल लगाई गई तथा आदर्श इंटर कॉलेज जडौदा पाड़ा तिराहा, देवबंद-बड़गांव अड्डा, सहारनपुर रोड एवं मुख्य बाजार बड़गांव क्षेत्र में भ्रमण कर उपस्थित महिलाओं व बालिकाओं को सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान मिशन शक्ति के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में डिजिटल अरेस्टिंग, सशक्तिकरण, सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं एवं बच्चों के लिए संचालित कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान की गई। साथ ही बालिकाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा एवं संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया।

उपस्थित महिलाओं को साइबर फ्रॉड एवं साइबर क्राइम से बचाव के उपायों की जानकारी दी गई तथा निम्न महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों से अवगत कराया गया —

☐ 1090 (वूमेन पावर लाइन)

☐ 1930 (साइबर अपराध रिपोर्टिंग)

☐ 108 (एंबुलेंस सेवा)

☐ 112 (पुलिस आपातकालीन सेवा)

कार्यक्रम के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गई एवं पंपलेट वितरित किए गए।

साथ ही तीन नये कानूनों — भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की प्रमुख धाराओं व नागरिक अधिकारों की जानकारी भी दी गई।

-प्रेस नोट-

मिशन शक्ति 5.0
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

दिनांक: 30-10-2025

➡️ तीन नये कानूनों की जागरूकता / मिशन शक्ति अभियान / राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह के तहत जनजागरूकता कार्यक्रम

आज दिनांक 30.10.2025 को थाना नकुड़, जनपद सहारनपुर में श्रीमान क्षेत्राधिकारी नकुड़, श्रीमान प्रभारी निरीक्षक थाना नकुड़ एवं श्रीमान अतिरिक्त निरीक्षक थाना नकुड़ द्वारा तीन नये कानूनों के संबंध में के.एल.जी.एम. इंटर कॉलेज, कस्बा नकुड़ में छात्र-छात्राओं को विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

कार्यक्रम के दौरान बालिकाओं को सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान मिशन शक्ति के बारे में जागरूक किया गया।

साथ ही डिजिटल अरेस्टिंग, सशक्तिकरण, तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं एवं बच्चों से संबंधित कार्यक्रमों की जानकारी दी गई।

उपस्थित छात्र-छात्राओं को अपने अधिकारों, सुरक्षा एवं संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया तथा साइबर फ्रॉड एवं साइबर क्राइम से बचाव के उपाय बताए गए।

साथ ही सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई —

☐ 1090 (वूमेन पावर लाइन)

☐ 1930 (साइबर अपराध रिपोर्टिंग)

☐ 108 (एंबुलेंस सेवा)

☐ 112 (पुलिस आपातकालीन सेवा)

कार्यक्रम के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गई एवं पंपलेट वितरित किए गए।

अधिकारियों द्वारा उपस्थित छात्र-छात्राओं को तीन नये कानूनों — भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की मुख्य विशेषताओं, नागरिक अधिकारों तथा उनके महत्व के बारे में अवगत कराया गया।

दिनांक: 30-10-2025

-प्रेस नोट-

तीन नये कानूनों की जागरूकता / मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0 के तहत जनजागरूकता कार्यक्रम

आज दिनांक 30.10.2025 को थाना सदर बाजार, जनपद सहारनपुर में महिला सशक्तिकरण अभियान मिशन शक्ति फेज-5.0 के अंतर्गत एंटी रोमियो टीम द्वारा जनजागरूकता अभियान चलाया गया।

कार्यक्रम के दौरान टीम द्वारा बैंकों का निरीक्षण किया गया एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गई। साथ ही बाजार क्षेत्र में महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक करते हुए सरकार द्वारा जारी विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी प्रदान की गई —

☐ 1090 (वूमेन पावर लाइन)

☐ 1076 (मुख्यमंत्री हेल्पलाइन)

☐ 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन)

☐ 1930 (साइबर अपराध हेल्पलाइन)

☐ 108 (एंबुलेंस सेवा)

☐ 112 (पुलिस आपातकालीन सेवा)

महिला उप निरीक्षक चंचल, महिला हेड कांस्टेबल मीनाक्षी, महिला कांस्टेबल रितु एवं चालक हेड कांस्टेबल जितेन्द्र चौहान द्वारा उपस्थित नागरिकों को साइबर अपराध, डिजिटल सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा एवं अधिकारों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।साथ ही पंपलेट वितरित कर तीन नये कानूनों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की मुख्य विशेषताओं एवं उनके महत्व से भी अवगत कराया गया।

दिनांक: 30-10-2025

-प्रेस नोट-

मिशन शक्ति 5.0
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

➡️ थाना नकुड़, जनपद सहारनपुर / मिशन शक्ति अभियान / राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह / तीन नये कानूनों की जागरूकता के तहत जनजागरूकता कार्यक्रम

आज दिनांक 30.10.2025 को थाना नकुड़, जनपद सहारनपुर में महिला सशक्तिकरण अभियान मिशन शक्ति फेज-5.0 एवं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह के अंतर्गत एंटी रोमियो टीम द्वारा जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान महिला उप निरीक्षक अर्चना एवं महिला कांस्टेबल दिशा द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं से संवाद कर उनकी समस्याओं को जाना गया। साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं — जैसे विधवा पेंशन योजना, सुमंगला योजना, बाल कल्याण योजनाएँ एवं बाल मजदूरी न कराने संबंधी जानकारी प्रदान की गई।

महिलाओं को गुड टच और बैड टच के विषय में जागरूक किया गया तथा विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई —

☐ 1090 (वूमेन पावर लाइन)

☐ 1076 (मुख्यमंत्री हेल्पलाइन)

☐ 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन)

☐ 1930 (साइबर अपराध रिपोर्टिंग हेल्पलाइन)

☐ 108 (एंबुलेंस सेवा)

☐ 112 (पुलिस आपातकालीन सेवा)

कार्यक्रम के दौरान डिजिटल अरेस्ट, साइबर फ्रॉड, फर्जी कॉल, अनचाहे लिंक आदि से बचाव के उपाय बताए गए। साथ ही साइबर अपराधों से सुरक्षा एवं तीन नये कानूनों — भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं व उनके महत्व के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई।

-प्रेस नोट-

मिशन शक्ति 5.0
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

दिनांक: 30-10-2025

थाना नागल, जनपद सहारनपुर / मिशन शक्ति अभियान / राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह / तीन नये कानूनों की जागरूकता के तहत जनजागरूकता कार्यक्रम

आज दिनांक 30.10.2025 को थाना नागल, जनपद सहारनपुर में महिला सशक्तिकरण अभियान मिशन शक्ति फेज-5.0 एवं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह के अंतर्गत एंटी रोमियो टीम द्वारा जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान महिला कांस्टेबल विनिता एवं महिला पीआरडी रीना द्वारा कस्बा नागल, शिव चौक, तथा पीएनबी बैंक वाली गली में जाकर महिलाओं एवं बालिकाओं से संवाद कर उनकी समस्याओं को जाना गया।साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं — विधवा पेंशन योजना, सुमंगला योजना, बाल कल्याण योजनाएँ, एवं बाल मजदूरी न कराने संबंधी जानकारी प्रदान की गई।

महिलाओं को गुड टच और बैड टच के विषय में विस्तारपूर्वक बताया गया तथा विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई —

☐ 1090 (वूमेन पावर लाइन)

☐ 1076 (मुख्यमंत्री हेल्पलाइन)

☐ 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन)

☐ 1930 (साइबर अपराध रिपोर्टिंग हेल्पलाइन)

☐ 108 (एंबुलेंस सेवा)

☐ 112 (पुलिस आपातकालीन सेवा)

कार्यक्रम के दौरान डिजिटल अरेस्ट, साइबर फ्रॉड, फर्जी कॉल, अनचाहे लिंक आदि से बचाव के उपाय बताए गए तथा साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ाई गई। साथ ही उपस्थित महिलाओं व बालिकाओं को तीन नये कानूनों — भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं, नागरिक अधिकारों एवं उनके महत्व के बारे में भी जानकारी दी गई।

-प्रेस नोट-

मिशन शक्ति 5.0
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

दिनांक: 30-10-2025

थाना नकुड़, जनपद सहारनपुर / मिशन शक्ति अभियान / राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह / तीन नये कानूनों की जागरूकता के तहत जनजागरूकता कार्यक्रम

आज दिनांक 30.10.2025 को थाना नकुड़, जनपद सहारनपुर में महिला सशक्तिकरण अभियान मिशन शक्ति फेज-5.0 एवं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह के अंतर्गत एंटी रोमियो टीम द्वारा जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान महिला उप निरीक्षक अर्चना एवं महिला कांस्टेबल दिशा द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं से संवाद स्थापित किया गया तथा उनकी समस्याओं को सुना गया।

साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं — जैसे विधवा पेंशन योजना, सुमंगला योजना, बाल कल्याण योजनाएँ, एवं बाल मजदूरी न कराने संबंधी जानकारी प्रदान की गई।

महिलाओं को गुड टच और बैड टच के विषय में जागरूक किया गया तथा विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई —

☐ 1090 (वूमेन पावर लाइन)

☐ 1076 (मुख्यमंत्री हेल्पलाइन)

☐ 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन)

☐ 1930 (साइबर अपराध रिपोर्टिंग हेल्पलाइन)

☐ 108 (एंबुलेंस सेवा)

☐ 112 (पुलिस आपातकालीन सेवा)

कार्यक्रम के दौरान डिजिटल अरेस्ट, साइबर फ्रॉड, फर्जी कॉल, अनचाहे लिंक आदि से बचाव के उपाय बताए गए तथा साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ाई गई।साथ ही उपस्थित महिलाओं व बालिकाओं को तीन नये कानूनों — भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं, नागरिक अधिकारों एवं उनके महत्व के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 30-10-2025

थाना गंगोह, जनपद सहारनपुर

मिशन शक्ति फेज-5.0 एवं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह के तहत जागरूकता अभियानतीन नये कानूनों की जागरूकता – महिला सुरक्षा, बाल सुरक्षा एवं साइबर सुरक्षा

आज दिनांक 30.10.2025 को थाना गंगोह, जनपद सहारनपुर में महिला सशक्तिकरण अभियान मिशन शक्ति फेज-5.0 एवं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह के अंतर्गत एंटी रोमियो टीम द्वारा जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में महिला हेड कांस्टेबल प्रीति, महिला हेड कांस्टेबल राजरानी, एवं कांस्टेबल चालक पुष्पेंद्र कुमार द्वारा कस्बा गंगोह के गल्ला मंडी, ननौता चौक, कस्बा बाजार, लखनौती तिराहा, बस स्टैंड एवं मेटाडोल स्टैंड पर महिलाओं की चौपाल लगाई गई।

महिलाओं एवं बालिकाओं से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याएं सुनी गईं तथा उन्हें सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं — विधवा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री सुमंगला योजना, बाल कल्याण योजनाएं, बाल मजदूरी निषेध एवं गुड टच-बैड टच — के बारे में जानकारी दी गई।

साथ ही महिलाओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई —

☐ 1090 (वूमेन पावर लाइन)

☐ 1076 (मुख्यमंत्री हेल्पलाइन)

☐ 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन)

☐ 1930 (साइबर अपराध रिपोर्टिंग हेल्पलाइन)

☐ 108 (एंबुलेंस सेवा)

☐ 112 (पुलिस आपातकालीन सेवा)

महिलाओं को डिजिटल अरेस्ट, साइबर फ्रॉड, फर्जी कॉल, अनचाहे लिंक आदि से बचाव के उपायों के बारे में बताया गया तथा साइबर अपराधों के प्रति सतर्क रहने हेतु प्रेरित किया गया।

अभियान के अंतर्गत उपस्थित महिलाओं व बालिकाओं को तीन नये कानूनों — भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) — की प्रमुख विशेषताओं, अधिकारों एवं सुरक्षा प्रावधानों की जानकारी प्रदान की गई।

-प्रेस नोट-

मिशन शक्ति 5.0
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

दिनांकः 30-10-2025

थाना नकुड़, जनपद सहारनपुर

मिशन शक्ति फेज-5.0 एवं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह के तहत जागरूकता अभियानतीन नये कानूनों की जागरूकता – महिला सुरक्षा, बाल सुरक्षा एवं साइबर सुरक्षा

आज दिनांक 30.10.2025 को थाना नकुड़, जनपद सहारनपुर में महिला सशक्तिकरण अभियान मिशन शक्ति फेज-5.0 एवं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह के अंतर्गत एंटी रोमियो टीम द्वारा जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में महिला उपनिरीक्षक कोमल पंवार द्वारा HIT कॉलेज एवं K.L.G.M. कॉलेज नकुड़ में बालिकाओं से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याएं सुनी गईं। उपस्थित छात्राओं को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं — विधवा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री सुमंगला योजना, बाल कल्याण योजनाएं, बाल मजदूरी निषेध एवं गुड टच-बैड टच — के विषय में जानकारी दी गई।

साथ ही छात्राओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई —

☐ 1090 (वूमेन पावर लाइन)

☐ 1076 (मुख्यमंत्री हेल्पलाइन)

☐ 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन)

☐ 1930 (साइबर अपराध रिपोर्टिंग हेल्पलाइन)

☐ 108 (एंबुलेंस सेवा)

☐ 112 (पुलिस आपातकालीन सेवा)

कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को डिजिटल अरेस्ट, साइबर फ्रॉड, फर्जी कॉल, अनचाहे लिंक जैसे साइबर अपराधों से बचाव के उपायों की जानकारी दी गई एवं साइबर सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने हेतु प्रेरित किया गया।

अभियान के अंतर्गत बालिकाओं को तीन नये कानूनों — भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) — की प्रमुख विशेषताओं, महिला एवं बाल सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों तथा उनके अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया गया।

-प्रेस नोट-

दिनांक: 30-10-2025

थाना जनकपुरी, जनपद सहारनपुर

* ➡ मिशन शक्ति फेज-5.0 एवं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह के तहत जनजागरूकता अभियानतीन नये कानूनों की जागरूकता – भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षासंहिता (BNSS) एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA)*

आज दिनांक 30.10.2025 को थाना जनकपुरी, जनपद सहारनपुर में महिला सशक्तिकरण अभियान मिशन शक्ति फेज-5.0 के अंतर्गत एंटी रोमियो टीम द्वारा जनजागरूकता अभियान चलाया गया।

इस अवसर पर उप निरीक्षक मोनिका यादव एवं महिला कांस्टेबल अलका नागर द्वारा थाना क्षेत्र के तकिया जानकनगर, SBD चौराहा, देहरादून चौक, जेलचुंगी, बाजोरिया रोड एवं मंदिर क्षेत्र में भ्रमण कर महिलाओं एवं बालिकाओं से संवाद स्थापित किया गया।

महिलाओं एवं छात्राओं को महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान मिशन शक्ति के उद्देश्यों की जानकारी दी गई। उन्हें डिजिटल अरेस्टिंग, साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम, फर्जी कॉल व अनचाहे लिंक जैसे साइबर अपराधों से बचाव के उपाय बताए गए।

साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री सुमंगला योजना, विधवा पेंशन योजना, बाल कल्याण योजना, बाल मजदूरी निषेध एवं गुड टच-बैड टच के विषय में जानकारी दी गई।

महिलाओं को निम्न हेल्पलाइन नंबरों के बारे में भी अवगत कराया गया —

☐ 1090 – वूमेन पावर लाइन

☐ 1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन

☐ 108 – एंबुलेंस सेवा

☐ 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

अभियान के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई, बाजोरिया रोड पर पैदल गश्त की गई एवं पैम्फलेट वितरित किए गए।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित नागरिकों को तीन नये कानूनों —

1️⃣ भारतीय न्याय संहिता (BNS)

2️⃣ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)

3️⃣ भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) —

के प्रमुख प्रावधानों, महिला एवं बाल सुरक्षा से संबंधित अधिकारों तथा न्याय प्रक्रिया में उनके महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

-प्रेस नोट-

मिशन शक्ति 5.0
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

दिनांकः 30-10-2025

थाना मिर्जापुर, जनपद सहारनपुर

मिशन शक्ति फेज-5.0 एवं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह के तहत जनजागरूकता अभियानतीन नये कानूनों की जागरूकता – भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA)

आज दिनांक 30.10.2025 को थाना मिर्जापुर, जनपद सहारनपुर में महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान "मिशन शक्ति फेज-5.0" के तहत महिला उप निरीक्षक दीक्षा एवं महिला कांस्टेबल 882 निकिता द्वारा जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न स्थानों पर जागरूकता अभियान चलाया गया —

(A) एस.बी.आई. बैंक मिर्जापुर

(B) कस्बा मिर्जापुर

(C) बड़ा कुआँ मिर्जापुर

(D) बाजार मिर्जापुर

(E) मदरसा उदारा इस्लामिया अरबिया उर रसूल, कस्बा मिर्जापुर

उक्त स्थानों पर बालिकाओं एवं महिलाओं को डिजिटल अरेस्टिंग, झूठी अफवाहों से सावधानी, साइबर फ्रॉड व साइबर अपराधों से बचाव के उपाय बताए गए।साथ ही सरकार द्वारा संचालित योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री सुमंगला योजना, विधवा पेंशन, बाल कल्याण योजनाएं, गुड टच-बैड टच की जानकारी दी गई।

महिलाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा एवं संरक्षण से संबंधित जानकारी दी गई और उपस्थित जनसमूह से उनकी समस्याओं को भी सुना गया।

कार्यक्रम के दौरान नागरिकों को निम्न महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई —

☐ 1090 – वूमेन पावर लाइन

☐ 1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन

☐ 108 – एंबुलेंस सेवा

☐ 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

☐ 1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन

साथ ही “नो हेलमेट, नो फ्यूल” अभियान के बारे में भी जागरूक किया गया।

अभियान के दौरान उपस्थित छात्राओं व नागरिकों को तीन नये कानूनों —

1️⃣ भारतीय न्याय संहिता (BNS)

2️⃣ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)

3️⃣ भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) —

के प्रमुख प्रावधानों, महिला एवं बाल सुरक्षा से संबंधित अधिकारों तथा इन कानूनों की दैनिक जीवन में उपयोगिता के बारे में अवगत कराया गया।

-प्रेस नोट-

दिनांक: 30-10-2025

थाना कुतुबशेर, जनपद सहारनपुर

* ➡ मिशन शक्ति फेज-5.0 एवं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह के तहत जनजागरूकता अभियानतीन नये कानूनों की जागरूकता – भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षासंहिता (BNSS) एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA)*

आज दिनांक 30.10.2025 को थाना कुतुबशेर, जनपद सहारनपुर में महिला सशक्तिकरण अभियान मिशन शक्ति फेज-5.0 के अंतर्गत एंटी रोमियो टीम द्वारा जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस दौरान महिला उप निरीक्षक सुमन, महिला कांस्टेबल 845 ममता एवं महिला हेड कांस्टेबल कमलेश द्वारा थाना क्षेत्र के बकाल लेबर कॉलोनी, बाजार शारदा नगर, बाजार मानक मऊ, बस अड्डा एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण कर महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक किया गया।

महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान मिशन शक्ति की विस्तृत जानकारी दी गई।

उन्हें डिजिटल अरेस्टिंग, झूठी अफवाहों से सतर्कता, साइबर फ्रॉड एवं साइबर अपराधों से बचाव, तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं — जैसे मुख्यमंत्री सुमंगला योजना, विधवा पेंशन योजना, बाल कल्याण योजनाएं, गुड टच-बैड टच — के बारे में जानकारी प्रदान की गई।

महिलाओं को अपने अधिकारों, सुरक्षा एवं संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया तथा मिशन शक्ति केंद्र की भूमिका के बारे में भी बताया गया।

साथ ही ऑपरेशन नशा मुक्ति के तहत उपस्थित लोगों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराया गया।

अभियान के दौरान निम्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई —

☐ 1090 – वूमेन पावर लाइन

☐ 1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन

☐ 108 – एंबुलेंस सेवा

☐ 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

कार्यक्रम के दौरान पंपलेट वितरित किए गए, जिन पर संबंधित अधिकारियों के नाम व संपर्क नंबर अंकित थे।

इसके अतिरिक्त उपस्थित नागरिकों को तीन नये कानूनों —

1 भारतीय न्याय संहिता (BNS)

2 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)

3 भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) —

के मुख्य प्रावधानों, महिला एवं बाल सुरक्षा से संबंधित धाराओं तथा इन कानूनों के दैनिक जीवन में महत्व की जानकारी भी दी गई।

दिनांक: 30-10-2025

-प्रेस नोट-

मिशन शक्ति 5.0
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

थाना कोतवाली देहात, जनपद सहारनपुर

* ➡️ मिशन शक्ति फेज-5.0 एवं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह के तहत जनजागरूकता अभियानतीन नये कानूनों की जागरूकता – भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA)*

आज दिनांक 30.10.2025 को थाना कोतवाली देहात, जनपद सहारनपुर में महिला सशक्तिकरण अभियान मिशन शक्ति फेज-5.0 के अंतर्गत एंटी रोमियो टीम द्वारा जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में प्रभारी निरीक्षक सूबे सिंह के नेतृत्व में कांस्टेबल 1716 अनुज कुमार, कांस्टेबल 1487 जय कुमार, कांस्टेबल 2303 सचिन कुमार, एवं महिला कांस्टेबल 1538 मीनाक्षी चौहान द्वारा थाना क्षेत्र स्थित स्किल-Ed स्कूल में उपस्थित बालिकाओं एवं बालकों को जागरूक किया गया।

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0 के उद्देश्यों से अवगत कराते हुए महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन पर विशेष बल दिया गया।

उन्हें डिजिटल अरेस्टिंग, झूठी अफवाहों से बचाव, साइबर फ्रॉड एवं साइबर अपराधों की रोकथाम, तथा सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं — जैसे मुख्यमंत्री सुमंगला योजना, विधवा पेंशन योजना, बाल कल्याण योजनाएं, गुड टच-बैड टच — के बारे में जानकारी दी गई।

छात्र-छात्राओं को अपने अधिकारों, सुरक्षा एवं संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया तथा मिशन शक्ति केंद्र की भूमिका से भी अवगत कराया गया।

साथ ही ऑपरेशन नशा मुक्ति के तहत नशे के दुष्प्रभावों से संबंधित जागरूकता दी गई।

अभियान के दौरान निम्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी प्रदान की गई —

☐ 1090 – वूमेन पावर लाइन

☐ 1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन

☐ 108 – एंबुलेंस सेवा

☐ 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

इसके अतिरिक्त उपस्थित विद्यार्थियों को तीन नये कानूनों —

1 भारतीय न्याय संहिता (BNS)

2 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)

3 भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) —

के प्रमुख प्रावधानों, महिला एवं बाल सुरक्षा से संबंधित अधिकारों तथा न्याय प्रक्रिया में इनकी भूमिका के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

-प्रेस नोट-

दिनांक: 30-10-2025

*थाना चिलकाना, जनपद सहारनपुर

➡ मिशन शक्ति फेज-5.0 एवं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह के तहत जनजागरूकता अभियानतीन नये कानूनों की जागरूकता – भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA)

आज दिनांक 30.10.2025 को थाना चिलकाना, जनपद सहारनपुर में मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत एंटी रोमियो टीम द्वारा थाना क्षेत्र के भीड़-भाड़ वाले स्थानों, बाजारों एवं सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं और बालिकाओं को महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के प्रति जागरूक किया गया।

कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं, महिला अधिकारों, तथा सुरक्षा हेतु उपलब्ध पुलिस हेल्पलाइन नंबरों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

साथ ही पम्पलेट वितरण कर नागरिकों को निम्न हेल्पलाइन नंबरों से अवगत कराया गया —

☐ 1090 – वूमेन पावर लाइन

☐ 1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन

☐ 1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन

☐ 108 – एंबुलेंस सेवा

☐ 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

इसके अतिरिक्त उपस्थित महिलाओं को डिजिटल अरेस्टिंग, साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन ठगी, एवं अनचाहे लिंक व कॉल्स से बचाव के उपायों की जानकारी दी गई।

महिलाओं की समस्याओं को सुना गया तथा समाधान हेतु उचित परामर्श दिया गया।

अभियान के अंतर्गत उपस्थित जनसमूह को तीन नये कानूनों —

1 भारतीय न्याय संहिता (BNS)

2 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)

3 भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) —

से संबंधित प्रावधानों एवं उनके महिला एवं नागरिक सुरक्षा में योगदान के बारे में भी जागरूक किया गया।

दिनांकः 30-10-2025

-प्रेस नोट-

थाना कोतवाली नगर, जनपद सहारनपुर

* ➡ ☐मिशन शक्ति फेज-5.0 एवं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह के तहत जनजागरूकता अभियान तीन नये कानूनों की जागरूकता – भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षासंहिता (BNSS) एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA)*

आज दिनांक 30.10.2025 को थाना कोतवाली नगर, जनपद सहारनपुर की मिशन शक्ति टीम म0का0 1574 भारती एवं का0चा0 अभिषेक द्वारा थाना क्षेत्र के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों — सुभाष नगर, नेहरू मार्केट, नुमाइश कैम्प, बेरीबाग, कंपनी बाग, बुरा बाजार, दाल मंडी पुल, शहीद गंज, जामा मस्जिद, सर्राफा बाजार, नया बाजार, राधा बिहार, भारत माता चौक, गोपाल नगर, पंसारी बाजार, माधव नगर, सराय चौक, लोहानी सराय, नखासा बाजार, ज्ञान मार्केट, तिलक नगर, पुरानी चुंगी, बागेश्वर मंदिर, जोगियान पुल, दिनेश विहार, सेतिया विहार, पुराना अस्पताल, मेडिकल मार्केट, नवीन नगर, अंकित नगर, हनुमान मार्केट, हिरण मारन मार्केट, शिवालिक बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक आदि में भ्रमण किया गया।

इस दौरान अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों को चेतावनी देकर वहां से हटाया गया तथा क्षेत्र में शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित माहौल बनाए रखने हेतु लोगों को जागरूक किया गया।

टीम द्वारा आर्य कन्या इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज, महाराज सिंह डिग्री कॉलेज, जे.वी. जैन इंटर कॉलेज आदि शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं, अभिभावकों एवं नागरिकों को साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन ठगी, फेक कॉल, झूठी डिजिटल अरेस्ट अफवाहों आदि से सतर्क रहने हेतु जानकारी दी गई।

महिलाओं और आमजन को सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं एवं महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों के बारे में अवगत कराया गया —

☐ 1090 – वूमेन पावर लाइन

☐ 1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन

☐ 1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन

☐ 108 – एंबुलेंस सेवा

☐ 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

थाना परिसर में बने मिशन शक्ति केंद्र के बारे में भी जानकारी दी गई तथा पंपलेट वितरण कर नागरिकों को साइबर सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, और नशा मुक्ति अभियान "सवेरा" के प्रति जागरूक किया गया।

अंत में, आमजन को तीन नये कानूनों — भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी गई, ताकि वे अपने अधिकारों एवं कानूनी सुरक्षा उपायों से पूर्णतः परिचित हो सकें।

दिनांक: 30-10-2025

-प्रेस नोट-

मिशन शक्ति 5.0
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

थाना मंडी, जनपद सहारनपुर

मिशन शक्ति फेज-5.0 एवं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह के तहत जनजागरूकता अभियानतीन नये कानूनों की जागरूकता – भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षासंहिता (BNSS) एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA)

आज दिनांक 30.10.2025 को थाना मंडी, जनपद सहारनपुर की मिशन शक्ति एंटी रोमियो टीम द्वारा थाना क्षेत्र के स्कूलों, कॉलेजों, बैंकों, बाजारों एवं भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों पर जनजागरूकता अभियान चलाया गया।

टीम द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं को मिशन शक्ति फेज-5.0 के अंतर्गत महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के प्रति जागरूक किया गया। उपस्थित महिलाओं को डिजिटल अरेस्ट की झूठी अफवाहों, साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन ठगी, एवं सोशल मीडिया सुरक्षा से संबंधित जानकारी दी गई।

साथ ही, सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं महिला व बाल सुरक्षा संबंधी हेल्पलाइन नंबरों के बारे में भी बताया गया —

☐ 1090 – वूमेन पावर लाइन

☐ 1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन

☐ 1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन

☐ 108 – एंबुलेंस सेवा

☐ 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

अभियान के दौरान पंपलेट वितरित किए गए एवं महिलाओं से उनकी समस्याओं व सुझावों को भी सुना गया।

अंत में उपस्थित जनसमूह को तीन नये कानूनों — भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) की जानकारी दी गई, ताकि आमजन अपने अधिकारों एवं कानूनी दायित्वों से पूर्ण रूप से अवगत रह सकें।

-प्रेस नोट-

दिनांक: 30-10-2025

थाना रामपुर मनिहारान, जनपद सहारनपुर

➡ मिशन शक्ति फेज-5.0 एवं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह के तहत जनजागरूकता कार्यक्रमतीन नये कानूनों की जागरूकता – भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA)

➡ आज दिनांक 30.10.2025 को थाना रामपुर मनिहारान, जनपद सहारनपुर में एसएसआई श्री सुरेश कुमार व एंटी रोमियो टीम प्रभारी उपनिरीक्षक देवेंद्र कुमार, महिला कांस्टेबल नजमा तथा महिला कांस्टेबल कंचन द्वारा सरदार पटेल इंटर कॉलेज एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कस्बा रामपुर मनिहारान में छात्राओं की चौपाल लगाकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

➡ कार्यक्रम के दौरान महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान मिशन शक्ति फेज-5.0 के अंतर्गत बालिकाओं को डिजिटल अरेस्टिंग, तीन नये कानूनों (BNS, BNSS, BSA) की जानकारी, महिला सशक्तिकरण एवं सरकारी योजनाओं — विधवा पेंशन, कन्या सुमंगला योजना, बाल कल्याण योजनाएं आदि — के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

साथ ही, छात्राओं व महिलाओं को साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन ठगी, साइबर अपराधों की रोकथाम एवं सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक किया गया।
इस दौरान सरकार द्वारा जारी विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी दी गई —
☐ 1090 – वूमेन पावर लाइन
☐ 1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन
☐ 108 – एंबुलेंस सेवा
☐ 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

अभियान के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की गई, उपस्थित लोगों को पंपलेट वितरित किए गए, तथा महिलाओं और बालिकाओं से उनकी समस्याएं एवं सुझाव पूछे गए।

कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में महिला सुरक्षा, कानूनी जागरूकता, साइबर सुरक्षा एवं आत्मनिर्भरता की भावना को सशक्त बनाना रहा।

-प्रेस नोट-

मिशन शक्ति 5.0
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

दिनांकः 30-10-2025

थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर

मिशन शक्ति फेज-5.0 एवं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह के अंतर्गत जनजागरूकता कार्यक्रम तीन नये कानूनों की जागरूकता – भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षासंहिता (BNSS) एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA)

आज दिनांक 30.10.2025 को थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर में थाना प्रभारी श्री विनय शर्मा के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण अभियान मिशन शक्ति फेज-5.0 एवं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह के तहत जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में एंटी रोमियो टीम एवं मिशन शक्ति टीम की महिला उपनिरीक्षक मिथलेश राठौर, उपनिरीक्षक संजय यादव, कंप्यूटर ऑपरेटर सोनम चौधरी तथा महिला कांस्टेबल 813 सुरेखा द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्या मंदिर, फतेहपुर में छात्राओं से संवाद कर उन्हें जागरूक किया गया।

कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को तीन नये कानूनों (BNS, BNSS, BSA), डिजिटल अरेस्टिंग, साइबर सुरक्षा, गुड टच-बैड टच, बाल मजदूरी निषेध, तथा सरकारी योजनाओं — विधवा पेंशन, कन्या सुमंगला योजना, बाल कल्याण योजनाएं आदि — के बारे में जानकारी दी गई।

साथ ही, बालिकाओं को साइबर फ्रॉड, फेक कॉल्स, अनचाहे लिंक से बचाव के उपाय बताए गए तथा निम्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई —

☐ 1090 – वूमेन पावर लाइन

☐ 1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

☐ 1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन

☐ 1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन

☐ 108 – एंबुलेंस सेवा

☐ 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

इस दौरान महिलाओं एवं छात्राओं से उनकी समस्याएं पूछी गईं, तथा सार्वजनिक स्थलों पर संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ कर चेतावनी दी गई।कार्यक्रम के अंत में पंपलेट वितरित किए गए और उपस्थित जनसमूह को महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन एवं कानून की जानकारी के प्रति जागरूक किया गया।

-प्रेस नोट-

दिनांक: 30-10-2025

थाना नानौता, जनपद सहारनपुर

➡️मिशन शक्ति फेज-5.0 एवं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह के अंतर्गत जनजागरूकता कार्यक्रमतीन नये कानूनों की जागरूकता – भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA)

आज दिनांक 30.10.2025 को थाना नानौता, जनपद सहारनपुर में महिला सशक्तिकरण अभियान मिशन शक्ति फेज 5.0 एवं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह के अंतर्गत जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम के तहत कुअंखेड़ा जूनियर हाईस्कूल में उप निरीक्षक रोहताश, उप निरीक्षक जयवीर, महिला आरक्षी 2147 सोनिका द्वारा तथा किसान सेवक इंटर कॉलेज में उप निरीक्षक देवेंद्र तोमर, उप निरीक्षक बिजेंद्र पाल एवं महिला आरक्षी 2147 सोनिका द्वारा छात्र-छात्राओं, महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक किया गया।

इस अवसर पर उपस्थित छात्र-छात्राओं को तीन नये कानूनों (BNS, BNSS, BSA), Zero FIR एवं E-FIR से संबंधित अधिकारों की जानकारी दी गई। साथ ही डिजिटल अरेस्टिंग, साइबर फ्रॉड, फेक कॉल्स, अनचाहे लिंक, तथा ऑनलाइन ठगी से बचाव के बारे में जागरूक किया गया।

सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं — विधवा पेंशन, मुख्यमंत्री सुमंगला योजना, बाल कल्याण योजनाएं आदि — की जानकारी दी गई। साथ ही छात्र-छात्राओं को गुड टच-बैड टच, बाल मजदूरी निषेध एवं महिला सुरक्षा संबंधी अधिकारों के बारे में बताया गया।

कार्यक्रम के दौरान निम्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई —

☐ 1090 – वूमेन पावर लाइन

☐ 1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

☐ 1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन

☐ 1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन

☐ 108 – एंबुलेंस सेवा

☐ 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

टीम द्वारा विद्यालयों में बालिकाओं की समस्याएं पूछी गईं, जनजागरूकता पंपलेट वितरित किए गए, तथा उपस्थित विद्यार्थियों को महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के प्रति प्रेरित किया गया।

-प्रेस नोट-

मिशन शक्ति 5.0
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

दिनांकः 30-10-2025

थाना बिहारीगढ़, जनपद सहारनपुर

मिशन शक्ति फेज-5.0 एवं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह के अंतर्गत जनजागरूकता कार्यक्रमतीन नये कानूनों की जागरूकता – भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षासंहिता (BNSS) एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA)

आज दिनांक 30.10.2025 को थाना बिहारीगढ़, जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा महिला सशक्तिकरण अभियान मिशन शक्ति फेज 5.0 एवं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह के अंतर्गत जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

थाना पुलिस द्वारा विद्यालयों, बाज़ारों एवं ग्राम क्षेत्रों में जाकर आमजन, छात्र-छात्राओं व महिलाओं को तीन नये कानूनों — भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) — से संबंधित अधिकारों की जानकारी दी गई। साथ ही Zero FIR एवं E-FIR के प्रावधानों से भी अवगत कराया गया।

इस अवसर पर उप निरीक्षक अभिषेक कुशवाह, महिला आरक्षी रेनू चौहान एवं पीआरडी सुषमा द्वारा उपस्थित नागरिकों को साइबर अपराध, डिजिटल अरेस्ट, फ्रॉड कॉल्स, अनचाहे लिंक, ऑनलाइन ठगी आदि से बचाव के उपायों की जानकारी दी गई।

सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं — विधवा पेंशन, मुख्यमंत्री सुमंगला योजना, बाल कल्याण योजनाएं, बाल मजदूरी न कराने के नियम आदि — के बारे में विस्तार से बताया गया। महिलाओं एवं छात्राओं को गुड टच और बैड टच की जानकारी दी गई तथा उनकी समस्याएं सुनी गईं।

जनजागरूकता कार्यक्रम के दौरान निम्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई —

☐ 1090 – वूमेन पावर लाइन

☐ 1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

☐ 1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन

☐ 1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन

☐ 108 – एंबुलेंस सेवा

☐ 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

थाना पुलिस टीम द्वारा उपस्थित नागरिकों को सतर्क, सुरक्षित एवं सशक्त रहने हेतु प्रेरित किया गया तथा मिशन शक्ति एवं साइबर सुरक्षा के संदेश को आमजन तक पहुँचाने का संकल्प लिया गया।थाना सरसावा, जनपद सहारनपुर

➡️ मिशन शक्ति फेज-5.0 एवं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह के अंतर्गत जनजागरूकता कार्यक्रमतीन नये कानूनों की जागरूकता – भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षासंहिता (BNSS) एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA)

➡️ आज दिनांक 30.10.2025 को थाना सरसावा, जनपद सहारनपुर में महिला सशक्तिकरण अभियान मिशन शक्ति फेज 5.0 एवं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह के अंतर्गत जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस अवसर पर थाना प्रभारी सरसावा श्री सजीव कुमार एवं मिशन शक्ति टीम थाना सरसावा द्वारा डी.सी. जैन इंटर कॉलेज, कस्बा सरसावा में छात्र-छात्राओं को महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा एवं साइबर जागरूकता से संबंधित जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में उपस्थित छात्र-छात्राओं को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं — विधवा पेंशन, मुख्यमंत्री सुमंगला योजना, बाल कल्याण योजनाएं, बाल मजदूरी न कराने के नियम, गुड टच एवं बैड टच की जानकारी — से अवगत कराया गया।

साथ ही सरकार द्वारा जारी किए गए महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई —

☐ 1090 – वूमेन पावर लाइन

☐ 1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

☐ 1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन

☐ 1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन

☐ 108 – एंबुलेंस सेवा

☐ 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

कार्यक्रम के दौरान छात्र-छात्राओं को डिजिटल अरेस्ट, साइबर फ्रॉड, फ्रॉड कॉल्स, अनचाहे लिंक से बचाव के उपाय बताए गए तथा उन्हें इंटरनेट उपयोग में सतर्क रहने हेतु प्रेरित किया गया।

साथ ही तीन नये आपराधिक कानूनों — भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) — के नये प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताया गया और उनके प्रति जागरूक किया गया।

अंत में उपस्थित छात्र-छात्राओं को पंपलेट वितरित किए गए तथा उन्हें समाज में जागरूक नागरिक बनने हेतु प्रेरित किया गया।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 30-10-2025

थाना जनकपुरी, जनपद सहारनपुर

मिशन शक्ति केंद्र — पति-पत्नी विवाद निस्तारण एवं काउंसलिंग कार्यवाही रिपोर्ट

दिनांक 30.10.2025 को मिशन शक्ति केंद्र, थाना जनकपुरी पर पति-पत्नी विवाद से संबंधित एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ।

मामले की गंभीरता को देखते हुए मिशन शक्ति केंद्र प्रभारी सुश्री मोनिका यादव द्वारा दोनों पक्षों की काउंसलिंग (परामर्श वार्ता) कराई गई।काउंसलिंग के दौरान दोनों पक्षों को आपसी समझ, सहयोग एवं सम्मानपूर्वक जीवनयापन के लिए प्रेरित किया गया।

वार्ता के पश्चात दोनों पक्ष हँसी-खुशी एक साथ रहने के लिए सहमत हो गए। मामला आपसी सहमति से निस्तारित किया गया।

दिनांकः 30-10-2025

-प्रेस नोट-

मिशन शक्ति 5.0
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

*_थाना मिर्जापुर की एंटीरोमियों टीम द्वारा मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत —पॉक्सो एक्ट के 03 अभियोगों में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार_*

अवगत कराना है कि दिनांक 25.10.2025 को वादी द्वारा थाना मिर्जापुर उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर दी कि हमारी नाबालिग लड़की को अज्ञात व्यक्ति द्वारा मो0सा0 पर बैठाकर जंगल में ले गया है जिसके सम्बन्ध में थाना मिर्जापुर पर मु0अ0स0-237/25 धारा 137(2) पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 29.10.2025 को वादिया द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर दी कि हमारी बच्ची बड़े कुए के पास खेल रही थी कोई अज्ञात व्यक्ति हमारी बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है व हमारी बच्चियों के साथ अश्लील हरकते की व शोर मचाने पर बच्चियों के साथ मारपीट की तथा थोड़ी देर बाद हमारी बच्चियों को मदरसा रायमी के पास छोड़ जाने के सम्बन्ध में थाना मिर्जापुर पर मु0अ0स0-243/25 धारा 137(2) 74/75(2) व 7/8 पोक्सो एक्ट तथा दिनांक 29.10.2025 की रात्रि को वादिया द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर दी कि हमारे परिवार की तीन बच्चियां घर के बाहर खेल रही थी खेलते समय कोई अज्ञात व्यक्ति जो मो0सा0 पर आया और हमारी बच्चियों को लालच देकर अपने साथ मो0सा0 पर बैठाकर जंगल में ले गया व अश्लील हरकते करना व चिल्लाने पर हमारी बच्चियों के साथ गाली गलौज कर व मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में मु0अ0स0- 246/25 धारा 137(2)65(2)/74/75(2)115(2)/352/351(2) बीएनएस 11(2)/12 व 5एम/6 पोक्सो पंजीकृत किया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटनाओं का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिए, आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण तथा क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना मिर्जापुर श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में थाना मिर्जापुर पुलिस की मिशन शक्ति एन्टी रोमियो टीम ने महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा व सम्मान सुनिश्चित करने हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के अंतर्गत 30 अक्टूबर 2025 को प्रभावी कार्रवाई कर सफल अनावरण करते हुए मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त सलमान उर्फ सल्लू पुत्र शमशाद निवासी गाडा रोड ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर सहारनपुर को शेर पुर पेलो रोड पर स्थित इकबाल ठेकेदार के बागं मे बने खण्डर नूमा मकान के पास से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-
सलमान उर्फ सल्लू पुत्र शमशाद नि0 गाडा रोड ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर सहारनपुर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-
1. प्र0निरी0 श्री सुनील नागर थाना मिर्जापुर सहारनपुर
2. उ0नि0 दिनेश कुमार थाना मिर्जापुर सहानरपुर
3. म0उ0नि0 दीक्षा थाना मिर्जापुर, जनपद सहारनपुर
4. हे0का0 37 अमरदीप कुमार थाना मिर्जापुर सहारनपुर
5. का0 1666 पकज कुमार थाना मिर्जापुर सहारनपुर
6. म0का0 1668 सविता थाना मिर्जापुर, जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

मिशन शक्ति 5.0
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

दिनांक: 30-10-2025

थाना देवबंद, जनपद सहारनपुर

मिशन शक्ति एवं साइबर जागरूकता के अंतर्गत तीन नये कानूनों पर जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित

आज दिनांक 30.10.2025 को थाना प्रभारी निरीक्षक देवबंद श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा मय उप निरीक्षक श्री रोबिल्स सिंह द्वारा दून वैली इंटर कॉलेज, देवबंद में छात्र-छात्राओं एवं कॉलेज स्टाफ को तीन नए आपराधिक कानूनों के संबंध में जागरूक करने हेतु एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में उपस्थित छात्र-छात्राओं एवं समस्त फैकल्टी को तीनों नए कानूनों के प्रमुख बिंदुओं से अवगत कराया गया —

1 BNS (भारतीय न्याय संहिता, 2023)

2 BNSS (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023)

3 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BSA)

साथ ही उपस्थित जनों को मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0 के तहत महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन से जुड़ी जानकारियाँ दी गई तथा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह के अवसर पर डिजिटल अरेस्टिंग, साइबर फ्रॉड, अनचाहे लिंक, फर्जी कॉल व ऑनलाइन ठगी से बचाव के उपाय भी बताए गए।

सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर —

1090 (वूमेन पावर लाइन), 1930 (साइबर अपराध), 108 (एम्बुलेंस), 112 (पुलिस आपातकालीन सेवा), 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन) की जानकारी भी साझा की गई।

कार्यक्रम के अंत में उपस्थित छात्र-छात्राओं को सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने एवं नये कानूनों की जानकारी जन-जन तक पहुँचाने हेतु प्रेरित किया गया।

दिनांक: 30-10-2025

-प्रेस नोट-

थाना बेहट, जनपद सहारनपुर

मिशन शक्ति, साइबर जागरूकता एवं तीन नये कानूनों पर जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित

आज दिनांक 30.10.2025 को थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा जनता इंटर कॉलेज, बेहट में छात्र-छात्राओं को महिला सुरक्षा, साइबर जागरूकता एवं तीन नये आपराधिक कानूनों के संबंध में जानकारी देकर जागरूक किया गया।

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को निम्न तीन नये कानूनों के प्रमुख प्रावधानों के बारे में बताया गया —

1️⃣ भारतीय न्याय संहिता (BNS - Bharatiya Nyaya Sanhita 2023)

2️⃣ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS - Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023)

3️⃣ भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA - Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023)

➡️ साथ ही मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0 के तहत महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के संबंध में जागरूक किया गया तथा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह के अवसर पर डिजिटल अरेस्ट, साइबर फ्रॉड, फर्जी कॉल, ऑनलाइन ठगी आदि से बचाव हेतु उपयोगी सुझाव दिए गए।

सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर —

1090 (वूमेन पावर लाइन), 1930 (साइबर अपराध), 108 (एम्बुलेंस), 112 (पुलिस आपातकालीन सेवा), 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन) की जानकारी दी गई।

-प्रेस नोट-

मिशन शक्ति 5.0
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

दिनांक: 30-10-2025

थाना गागलहेड़ी, जनपद सहारनपुर

* ➡ मिशन शक्ति, साइबर जागरूकता एवं तीन नये कानूनों पर जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित*

आज दिनांक 30.10.2025 को थाना गागलहेड़ी पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र के विद्यालयों/कॉलेजों में छात्र-छात्राओं को महिला सुरक्षा, साइबर अपराध से बचाव एवं तीन नये आपराधिक कानूनों के संबंध में जानकारी देकर जागरूक किया गया।

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को निम्न तीन नये कानूनों के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बताया गया —

1 भारतीय न्याय संहिता (BNS - Bharatiya Nyaya Sanhita 2023)

2 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS - Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023)

3 भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA - Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023)

साथ ही मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0 के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के प्रति जागरूक किया गया।
राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह के अंतर्गत डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन फ्रॉड, फर्जी कॉल, अनचाहे लिंक व साइबर अपराध के प्रति सतर्क रहने की अपील की गई।

कार्यक्रम के दौरान हेल्पलाइन नंबर –
- ☐ 1090 (वूमेन पावर लाइन),
- ☐ 1930 (साइबर अपराध),
- ☐ 108 (एम्बुलेंस सेवा),
- ☐ 112 (पुलिस आपातकालीन सेवा),
- ☐ 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन)

की जानकारी देकर पम्पलेट भी वितरित किए गए।

-प्रेस नोट-

दिनांक: 30-10-2025

थाना देवबंद, जनपद सहारनपुर

मिशन शक्ति, साइबर जागरूकता एवं तीन नये कानूनों पर जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित

आज दिनांक 30.10.2025 को थाना देवबंद पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र के विद्यालयों/कॉलेजों में जाकर छात्र-छात्राओं को तीन नए आपराधिक कानूनों के संबंध में जानकारी दी गई एवं उन्हें जागरूक किया गया।

कार्यक्रम में उपस्थित विद्यार्थियों को निम्न तीन नये कानूनों के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बताया गया —

1 भारतीय न्याय संहिता (BNS - Bharatiya Nyaya Sanhita 2023)

2 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS - Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023)

3 भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA - Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023)

साथ ही मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0 के तहत बालिकाओं एवं महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के प्रति जागरूक किया गया। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह के अंतर्गत डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, अनचाहे लिंक व साइबर अपराधों से सतर्क रहने के उपाय बताए गए।

कार्यक्रम में हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई —

☐ 1090 (वूमेन पावर लाइन)

☐ 1930 (साइबर अपराध)

☐ 108 (एम्बुलेंस सेवा)

☐ 112 (पुलिस आपातकालीन सेवा)

☐ 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन)

साथ ही उपस्थित नागरिकों को पंपलेट वितरित कर जागरूक किया गया।

दिनांक: 30-10-2025

-प्रेस नोट-

थाना चिलकाना, जनपद सहारनपुर

मिशन शक्ति, साइबर सुरक्षा जागरूकता एवं तीन नये कानूनों पर जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित

आज दिनांक 30.10.2025 को थाना चिलकाना के थाना अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में तथा मिशन शक्ति टीम — महिला उपनिरीक्षक सुमन, एस.एस.आई. भूपेन्द्र कुमार एवं अन्य पुलिसकर्मियों द्वारा कस्बा सुल्तानपुर में महिलाओं एवं आमजन के बीच जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित महिलाओं को मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत

सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, जैसे — विधवा पेंशन, कन्या सुमंगला योजना, बाल कल्याण योजनाएँ इत्यादि की जानकारी दी गई तथा उनके अधिकारों, सुरक्षा एवं आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूक किया गया।

साथ ही राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह के अंतर्गत लोगों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया गया।

उन्हें डिजिटल अरेस्ट, फेक आईडी, ओटीपी फ्रॉड, फर्जी लिंक, ऑनलाइन ठगी जैसी साइबर जालसाजियों से सतर्क रहने की सलाह दी गई तथा साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 के उपयोग की जानकारी दी गई।

इसके अतिरिक्त लोगों को 01 जुलाई 2024 से लागू तीन नये आपराधिक कानूनों के संबंध में भी जागरूक किया गया —

1 भारतीय न्याय संहिता (BNS - Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023)

2 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS - Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023)

3 भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA - Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023)

कार्यक्रम के अंत में उपस्थित नागरिकों को पंपलेट वितरित कर कानून एवं साइबर सुरक्षा की जानकारी दी गई।

-प्रेस नोट-

मिशन शक्ति 5.0
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

दिनांकः 30-10-2025

थाना कुतुबशेर, जनपद सहारनपुर
मिशन शक्ति, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह एवं नये आपराधिक कानूनों पर जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित

➡️आज दिनांक 30.10.2025 को थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा गुरु नानक इंटर कॉलेज, सहारनपुर में महिला सशक्तिकरण अभियान (मिशन शक्ति फेज 5.0), राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह, तथा नये आपराधिक कानूनों (BNS, BNSS एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम) के संबंध में जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में उपनिरीक्षक सुमन चाहर एवं महिला आरक्षी ममता (नं. 845) द्वारा छात्राओं एवं शिक्षिकाओं को महिलाओं की सुरक्षा, अधिकारों, एवं आत्मनिर्भरता के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

पुलिस टीम ने उपस्थित जनसमूह को
तीनों नये आपराधिक कानूनों —

1. भारतीय न्याय संहिता (BNS)
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)
3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA)

साथ ही Zero FIR एवं E-FIR प्रणाली की जानकारी देते हुए बताया कि अब महिलाएँ व नागरिक कहीं से भी आसानी से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

साथ ही, साइबर अपराधों के संबंध में लोगों को डिजिटल अरेस्ट, फ्रॉड कॉल, फर्जी लिंक, साइबर ठगी से सावधान रहने के लिए प्रेरित किया गया तथा साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 के उपयोग की जानकारी दी गई।

इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं — जैसे विधवा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बाल कल्याण योजना आदि के बारे में बताया गया।
उपस्थित छात्राओं को गुड टच और बैड टच के बारे में भी संवेदनशील जानकारी दी गई तथा बाल मजदूरी रोकथाम के महत्व पर चर्चा की गई।

कार्यक्रम में सभी को निम्न महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों के बारे में भी जानकारी दी गई —

☐ 1090 – महिला पावर लाइन
☐ 1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन
☐ 1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन
☐ 1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन
☐ 108 – एंबुलेंस सेवा
☐ 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

-प्रेस नोट-

मिशन शक्ति 5.0
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

दिनांक: 30-10-2025

थाना तीतरों, जनपद सहारनपुर

➡️ मिशन शक्ति, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह एवं नये आपराधिक कानूनों पर जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित

आज दिनांक 30.10.2025 को थाना तीतरों पुलिस द्वारा कस्बा तीतरों के मुख्य बाजार, बस अड्डा एवं विद्यालयों के आसपास महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक करने हेतु जनजागरूकता अभियान चलाया गया।

निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार (थाना प्रभारी तीतरों) के नेतृत्व में आयोजित किया गया।

इस दौरान एंटी रोमियो प्रभारी का0 मानवती व का0 रिंकी द्वारा उपस्थित महिलाओं एवं छात्राओं को मिशन शक्ति फेज 5.0, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह तथा नये आपराधिक कानूनों –

1️⃣ भारतीय न्याय संहिता (BNS)

2️⃣ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)

3️⃣ भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA)

के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

टीम द्वारा बताया गया कि Zero FIR एवं E-FIR जैसी नई व्यवस्थाएँ नागरिकों की सुविधा हेतु लागू की गई हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति किसी भी थाने में आसानी से रिपोर्ट दर्ज करा सकता है।

महिलाओं को साइबर अपराध, डिजिटल अरेस्ट, फ्रॉड कॉल, फर्जी लिंक, साइबर ठगी आदि से बचाव के उपाय बताए गए। साथ ही सरकार द्वारा जारी महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जानकारी दी गई —

☐ 1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन

☐ 1090 – महिला पावर लाइन

□ 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

□ 1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित महिलाओं से उनकी समस्याएं पूछी गईं व मौके पर ही निस्तारण किया गया। साथ ही पंपलेट वितरित कर नये कानूनों, साइबर सुरक्षा व महिला सुरक्षा से संबंधित जानकारी भी दी गई।